अनुभव जैन - गोरधन Rie 3-7 50/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31-3-23	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप० वकील उभय पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है। उभय पक्षों को अपील स्वीकार कर। अपील निस्तारित करने पर सहमति है। वकील उभय पक्षों की सहमति है मध्य नजर राजीनामा हो जाने पर अपील अन्तर्गत स्वीकार [illegible] की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.7.15 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष दिनांक 10.4.23 को उपस्थित हों। निर्णय खुले न्यायालय सुना गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। जरिए नकल हो)	पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। तो कोई आपत्ती नहीं है। [illegible] तारा चन्द [illegible] पहचानकर्ता [illegible] कानमल